



पत्रांक : २३३५ /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/एसओ/

दिनांक ३०.०३.२०१३

### कार्यालय ज्ञाप

विद्युत भण्डार केन्द्र, सहारनपुर में भण्डार सामग्री के दुरुपयोग से सम्बन्धित प्रकरण की जांच में श्री शैलेन्द्र गौतम (2009161), सहायक अभियन्ता, विद्युत भण्डार केन्द्र, सहारनपुर को अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरते जाने आदि जैसे गम्भीर कदाचरण का प्रथम दृष्ट्या दोषी पाया गया।

मैं पूर्णतया सन्तुष्ट हूँ कि उपरोक्त कदाचरण हेतु श्री शैलेन्द्र गौतम (2009161), सहायक अभियन्ता, विद्युत भण्डार केन्द्र, सहारनपुर के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने का प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है। अतः मैं विजय विश्वास पन्त, प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि।, मेरठ सक्षम प्राधिकारी होने के नाते एतद्वारा श्री शैलेन्द्र गौतम (2009161), सहायक अभियन्ता, को अग्रेतर जांच एवं अनुशासनिक कार्यवाही हेतु तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ।

निलम्बन की अवधि में श्री शैलेन्द्र गौतम (2009161), सहायक अभियन्ता, कार्यालय मुख्य अभियन्ता (वितरण), सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर से सम्बद्ध रहेंगे तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता अनुमन्य होगा।

३०३०१३  
विजय विश्वास पन्त  
प्रबन्ध निदेशक

श्री शैलेन्द्र गौतम (2009161),  
सहायक अभियन्ता,  
विद्युत भण्डार केन्द्र, सहारनपुर  
द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत भण्डार मण्डल, मेरठ।

पत्रांक २३३५/प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/एसओ/तददिनांक ३०.०३.२०१३

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि।, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (मा०संसा०० एवं प्रशा००), प०वि०वि०नि०लि।, मेरठ।
3. मुख्य अभियन्ता (वितरण), सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत भण्डार मण्डल, मेरठ को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि एक प्रति श्री शैलेन्द्र गौतम (2009161), सहायक अभियन्ता को हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर पुष्टि स्वरूप हस्ताक्षर प्राप्त कर कारपोरेशन मुख्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।
5. अधीक्षण अभियन्ता, (डी०पी०), प०वि०वि०नि०लि।, मेरठ।
6. संयुक्त सचिव (अ०प्र०-०१), उ०प्र०पा०का०लि।, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. उप सचिव (अधि०प्र०-०२अ), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि।, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अनु सचिव (गोपन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि।, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि।, लखनऊ।
10. संयुक्त सचिव (अनु०का०) के निजी सचिव।
11. सम्बन्धित अधिकारी।
12. कट फाइल।

(एस०के० गुप्ता)  
अधीक्षण अभियन्ता एवं स्टाफ आफिसर